भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3099

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

जल शक्ति अभियान के अंतर्गत परियोजनाएं

3099. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान 'जल शक्ति अभियानः कैच द रेन अभियान' के तहत कार्यान्वित की गई परियोजनाओं और प्राप्त प्रगति का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का वर्षा जल संचयन प्रणालियों को स्थापित करने के लिए घरों, उद्योगों और संस्थानों को कोई वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जागरूकता अभियानों, तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर वर्षा जल संचयन (रूफ टॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने देशभर में वर्षा जल संचयन संरचनाओं, भूजल पुनर्भरण और संरक्षण परिणामों पर नजर रखने के लिए कोई डिजिटल मंच या निगरानी तंत्र विकसित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देशभर में बढ़ते जलवायु परिवर्तन और आवर्ती जल संकट को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संचयन, जलग्रहण क्षेत्र (वॉटरशेड) प्रबंधन और टिकाऊ जल संरक्षण को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ङ) 'जल' राज्य का विषय है। जल संसाधनों के संरक्षण सहित इससे संबंधित पहलुओं का अध्ययन, आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के उपायों और प्रयासों में सहायता प्रदान कर उनकी कार्यों को सुगम बनाया जाता है।

वर्ष 2019 में, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश के 256 जल की कमी वाले जिलों में एक समयबद्ध, मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान के रूप में जल शक्ति अभियान (जेएसए) आरंभ किया गया था। भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2021 में "कैच द रेन: व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स" संदेश के साथ इस अभियान को जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) के रूप में शुरू किया गया था । तब से, जेएसए: सीटीआर एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया है, जो स्थानीय कार्रवाई और संस्थागत समन्वय के माध्यम से जल सुरक्षा के प्रति भारत की सामूहिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है। जेएसए: सीटीआर अभियान का कार्यान्वयन पूरे देश में किया गया था और इसके अधिकतम प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2023 से इसके प्रत्येक संस्करण में एक लक्षित फोकस को शामिल किया गया है। "पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता" विषय के साथ जेएसए: सीटीआर 2023 में जल जीवन मिशन द्वारा चिह्नित 150 विशेष फोकस जिलों को प्राथमिकता दी गई । "नारी शक्ति से जल शक्ति" विषय पर आधारित जेएसए: सीटीआर 2024 अभियान पूरे देश में चलाया गया, जिसमें केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा चिह्नित 151 जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया। जेएसए: सीटीआर 2025 को "जल संचय जन भागीदारी: जन जागरूकता की ओर" विषय के साथ शुरू किया गया, जिसमें सीजीडब्ल्यूबी द्वारा चिह्नित 148 जिलों पर विशेष बल देने के साथ जमीनी स्तर पर सघन भागीदारी, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय और नवीन वित्तपोषण तंत्र पर जोर दिया गया। देश में पिछले तीन वर्षों के लिए जेएसए: सीटीआर नवीन का जिला-वार विवरण **https://mowr.nic.in/core/WebsiteUpload/2026/nwm.pdf**.

में उपलब्ध है।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन की गति को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, सघन सामुदायिक भागीदारी के साथ "जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी)" पहल सितंबर 2024 में सूरत, गुजरात में शुरू की गई थी। जून 2025 में, जेएसजेबी 2.0 अभियान शुरू किया गया था। जेएसजेबी 2.0 का कार्यान्वयन चक्र 1 जून 2025 को शुरू हुआ और 31 मई 2026 को संपन्न हुआ।

जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल के दायरे को व्यापक बनाते हुए और साथ ही इसे 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर)' अभियान के साथ एकीकृत करते हुए दिनांक 1 जून 2026 को जल संचय जन भागीदारी: कैच द रेन (जेएसजेबी: सीटीआर) - 2026 का शुभारंभ किया गया। यह पहल कम लागत और संतृप्ति मोड में लागत प्रभावी वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए सामुदायिक कार्रवाई और एकजुटता को तेज करने पर केंद्रित है।

इसका उद्देश्य संपूर्ण-समाज और संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण अपनाते हुए सामूहिक प्रयासों के माध्यम से जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण सुनिश्चित करना है । सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देकर, यह पहल जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए सूक्ष्म स्तर पर लागत प्रभावी व स्थानीय समाधान विकसित करना चाहती है। यह पहल 3-सी सिद्धांत – कम्युनिटी (समुदाय), सीएसआर और कॉस्ट (लागत) पर आधारित है, जो प्रभावी समन्वय और सर्वोत्तम

लाभ सुनिश्चित करती है। सरकार इसकी व्यापक पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों के साथ साझेदारी में इस पहल को बढ़ावा देती है। इस पहल का उद्देश्य व्यापक समुदाय को प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, नागरिक समाजों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे हितधारकों के साथ साझेदारी करना है। अभियान की प्रगति की मॉनिटरिंग ऑनलाइन पोर्टल - जेएसजेबी: सीटीआर (https://jsjb.mowr.gov.in) के माध्यम से की जाती है।

यह पहल वर्षा जल संचयन, भूजल स्तर को बढ़ाने और जल की समस्याओं के लिए स्थानीय स्तर पर आधारित समाधान प्रदान करने के लिए, स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हुए बोरवेल, रिचार्ज शाफ्ट और रिचार्ज पिट जैसी कम लागत वाली संरचनाओं के निर्माण हेतु सामुदायिक निधि, व्यक्तिगत दान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि और अन्य का लाभ उठाती है। यह पहल केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की विभिन्न योजनाओं जैसे विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी (वीबी-जी राम जी), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार घटक, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) और वित्त आयोग के अनुदानों से समन्वित वित्तपोषण पर भी जोर देती है।

वर्षा जल संचयन प्रणालियों के कार्यान्वयन में राज्यों और स्थानीय निकायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और इस अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा एक व्यापक और बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस रणनीति के हिस्से के रूप में, प्रगति की मॉनिटरिंग करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए क्रमशः राज्य और जिला स्तर पर राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) और जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आवश्यक सहायता प्रदान करने और फीडबैक प्राप्त करने के लिए एसएनओ, नगर आयुक्तों, जिलाधिकारियों (डीएम) / उपायुक्तों (डीसी), भागीदार केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, तकनीकी योजना को समर्थन देने तथा जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण हस्तक्षेपों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के साथ ग्राम-स्तरीय व्यवहार्यता मानचित्र साझा किए गए हैं। इसके साथ ही, देश भर के जिला प्रशासन द्वारा अपने संबंधित जिलों में स्थायी जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए 'जिला जल संरक्षण योजनाएं' तैयार की गई हैं।

देश भर में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित किए गए हैं, जो स्थानीय लोगों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने और वर्षा जल संचयन प्रणालियों के कार्यान्वयन में जिला प्रशासन की सहायता करने के लिए समर्पित संसाधन और ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं।

पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई) समुदायों को एकत्रित करने, स्थानीय स्तर पर योजना बनाने की सुविधा प्रदान करने और जल संरक्षण कार्यों के सहभागी कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग

को सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), युवा, छात्र और स्थानीय सामुदायिक समूह जागरूकता के सृजन, व्यवहार परिवर्तन संचार और सामाजिक एकजुटता में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिससे जमीनी स्तर पर भागीदारी और स्वामित्व सुदृढ़ होता है।

स्थानीय हितधारकों का क्षमता निर्माण और उन्हें जल संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना इस अभियान का एक अभिन्न अंग है। जल संरक्षण कार्यों, कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग को सुदृढ़ करने के लिए, दिशा-निर्देशों और चेकलिस्ट के साथ, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अधिकारियों तथा जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा एवं समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं। जमीनी स्तर पर जागरूकता, तकनीकी समझ और सहभागी कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए आईईसी गतिविधियों, सामुदायिक बैठकों और क्षेत्रीय स्तर पर संवाद का आयोजन किया जाता है।

राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) द्वारा जल संरक्षण में जिला-स्तरीय कार्यनिष्पादन को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) अभियान के तहत एक प्रोत्साहन योजना विकसित की गई है। इस प्रोत्साहन योजना के अनुसार, इस निधि को विशेष रूप से जल संरक्षण संरचनाओं, जागरूकता गतिविधियों और हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), उद्योग संघों / उद्योग जगत के अग्रणियों / निजी परोपकारियों, भागीदार मंत्रालयों/विभागों और नोडल अधिकारियों सहित अन्य प्रमुख हितधारकों के लिए एक मान्यता प्रक्रिया (रेकॉगनाइज़ेशन मेकेनिज़्म) भी शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा सूचित किया गया है, अमृत 2.0 सुधारों के तहत, देश भर में नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल के अंतर्गत कृत्रिम पुनर्भरण और भंडारण संरचनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोत्साहन राशि का उपयोग नगर निगमों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जल संरक्षण संरचनाओं और हितधारकों के क्षमता निर्माण सहित जल संरक्षण जागरूकता गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना की गई है। ये पुरस्कार जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न श्रेणियों में राज्यों, संगठनों, व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं के प्रयासों को मान्यता प्रदान करते हैं।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के महत्व जागरूकता का सृजन करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इनमें जन संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी), जन जागरूकता कार्यक्रम (एमएपी), स्थानीय भूजल मुद्दों पर कार्यक्रम, सहभागी भूजल प्रबंधन पर स्रोत स्थिरता प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। इसके साथ ही, वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए सूचना,

शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां जैसे प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और व्यापार मेलों का भी आयोजन किया जाता है।

इसके अलावा, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा देश भर में भूजल की मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है और प्रभावी भूजल मॉनिटरिंग के लिए उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है। वाटर लेवल साउंडर्स का उपयोग करके प्रेक्षण कुओं के एक नेटवर्क के माध्यम से भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है, जिन्हें रियल-टाइम भूजल मॉनिटरिंग पहल के अंतर्गत टेलीमेट्री युक्त डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर्स (डीडब्ल्यूएलआर) के साथ उन्नत किया गया है। डिजिटल टेलीमेट्री, जीआईएस टूल्स और रियल-टाइम मॉनिटरिंग प्रणालियों की तैनाती से अधिक तेज, उच्च-आवृत्ति वाला और सटीक भूजल डेटा संग्रह संभव हो पाया है। रियल-टाइम भूजल स्तर का डेटा सीजीडब्ल्यूबी के ऑनलाइन डेटा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा देश में वर्षा-सिंचित और निम्नीकृत भूमि के विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन किया जाता है। इसका उद्देश्य मृदा और जल संसाधनों का संरक्षण करना, भूजल पुनर्भरण को बढ़ाना, वनस्पति आवरण में सुधार करना और ग्रामीण समुदायों की आजीविका को मजबूती प्रदान करना है। इसके तहत किए जाने वाले कार्यों में रिज-टू-वैली उपचार, मृदा और नमी संरक्षण के उपाय, जल संचयन संरचनाएं, वनीकरण और आजीविका गतिविधियां शामिल हैं, जो जल की उपलब्धता में सुधार करने और वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन बढ़ाने में योगदान देते हैं।

जल शक्ति मंत्रालय ने व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा जल संरक्षण में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन कर इसे प्रसारित किया है।
